कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: मु.अ.(मा.संसा.एवं प्रशा.)/मप्रपॉजकंलि/अनु.नियु./ 2071 जबलपुर, दि. 04 JUN 2019

आदेश

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी में, पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल से अंतिम रूप में अंतरित/आमेलित कार्मिक तथा कंपनी कैडर कार्मिक की सेवाकाल में दुर्घटना मृत्यु / सामान्य मृत्यु होने पर उसके पूर्णतः आश्रित परिवार के एक पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में, कंपनी के प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरांत, पूर्व में जारी समस्त अनुकंपा निर्देशों/नियमों/नीतियों को अधिक्रमित करते हुए, म.प्र. पॉवर मैंनेजमेंट कं. लिमि., जबलपुर, की अनुकंपा नीति 2018 को यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ ग्राह्य किया जाने पर "म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018" जारी की जाती है ।

इस नीति के तहत दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति, कंपनी की नवीन संगठनात्मक संरचना एवं म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 8349/2017/तेरह, दिनांक 28.12.2017, सहपठित ज्ञाप क्रमांक 2966/2018/तेरह दिनांक 05.04.2018 में प्रावधानित विनियमों तथा म.प्र. शासन के समान पदों हेतु लागू, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं इत्यादि के विषय में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी ।

म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी "अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018" दिनांक 01.01.2018 से प्रभावशील होगी ।

आदेशानुसार

(ए.के. नेमा)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

क्र: मु.अ.(मा.संसा.एवं प्रशा.)/मप्रपॉजकंलि/अनु.नियु./ 2072 जबलपुर, दि. 04 JUN 2019
प्रतिलिपि : -

1- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग भोपाल ।
2- कार्यपालक निदेशक/ मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/(अभियांत्रिकी)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पादन),म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।

3- कार्यपालक निदेशक/ मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा ।

4- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।

5- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।

6- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व क्षेत्र /पश्चिम क्षेत्र/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/इन्दौर/ भोपाल।

7- मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।

8- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।

9- अति. मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/(सिविल-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जल विद्युत संधारण)/ (टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।

10- अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/गांधीसागर/पेंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/ बाणसागर-दो/तीन/चार, मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/बरगीनगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना, ।

11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., सारनी ।

12- वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.) / संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि./टोंस जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।

13- स्टाफ आफिसर/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।

14- सहायक अभियंता (वेबसाईट प्रभारी- आई .टी.), कार्यालय मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर - वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

15- स्थापना अनुभाग - कार्यालय मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पा.जन.कं.लि., जबलपुर ।

(एस.के. देशपाण्डे)
अति. मुख्य अभियंता
कार्या. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

अनुकंपा नियुक्ति नीति - 2018

विषय : "मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018"

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी में, पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल से अंतिम रूप में अंतरित/आमेलित कार्मिक तथा कंपनी कैडर कार्मिक की सेवाकाल में दुर्घटना मृत्यु/मृत्यु होने पर उसके पूर्णतः आश्रित परिवार के एक पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में, पूर्व में जारी समस्त अनुकंपा निर्देशों/नियमों/नीतियों को अधिक्रमित करते हुए, "म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018" जारी की जाती है ।

इस नीति के तहत दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति, कंपनी की नवीन संगठनात्मक संरचना एवं म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 8349/2017/तेरह, दिनांक 28.12.2017, सहपठित ज्ञाप क्रमांक 2966/2018/तेरह दिनांक 05.04.2018 में प्रावधानित विनियमों तथा म.प्र. शासन के समान पदों हेतु लागू, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं इत्यादि के विषय में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी ।

"म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018" दिनांक 01.01.2018 से प्रभावशील होगी ।

कंडिका 1 : अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति

1.1 म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी में कार्यरत (1) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के ऐसे कार्मिक जो राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10-04-2012 के द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी को अंतिम रूप से अंतरित एवं आमेलित हुए हैं एवं कंपनी में ही कार्यरत हैं या (2) म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा नियुक्त कार्मिक जिनकी सेवायें कंपनी द्वारा नियंत्रित हैं तथा जिनकी कंपनी सेवाकाल में मृत्यु हुई हो, के पूर्णतः आश्रित परिवार के एक सदस्य को, कंडिका 2 व 3 में वर्णित पात्रता की शर्तों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी ।

1.1.1 ऐसे कार्मिक, जिनकी मृत्यु दिनांक 15.11.2000 के पश्चात् किन्तु 10.04.2012 के पूर्व म.प्र.रा.वि.मं/कंपनी का कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना*, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या अथवा कार्य करते समय वाहन दुर्घटना** के कारण हुई हो तो, आश्रित परिवार के एक सदस्य को कंडिका 2 एवं 3 में वर्णित पात्रता की शर्तों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी ।

1.2 विद्युत कंपनियों के ऐसे कार्मिक, जिनकी म.प्र.रा.वि.मं. की अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों में प्रतिनियुक्ति की अवधि में मृत्यु होती है, उनके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी ।

कंडिका 2 : अनुकंपा नियुक्ति हेतु पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों की पात्रता (क्रमानुसार)

2.1 कंडिका 1 के अन्तर्गत वर्णित दिवंगत म.प्र.रा.वि.मं./कंपनी कार्मिक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति को, अथवा

2.2 दिवंगत सेवक का पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री अथवा ऐसी विवाहित पुत्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो अथवा वह तलाकशुदा हो, किन्तु शर्त यह होगी कि ऐसी अविवाहित, विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री दिवंगत कंपनी सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो, साथ ही यह भी कि उनके पति शासकीय सेवक# न रहे हों। पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्र वधु जो कंपनी सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो ।

2.3 दिवंगत कंपनी सेवक की संतान सिर्फ पुत्री/पुत्रियां हो और वे विवाहित हों तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री । यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नि के जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी बशर्ते उसके पति शासकीय सेवा में न हों। तथा ऐसी अनुकम्पा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को कंपनी सेवक के आश्रित पति /पत्नी के पालन पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा ।

2.4 यदि मृतक कंपनी सेवक की प्राकृतिक संतान न हो तो, ऐसी दत्तक संतान जिसे कंपनी सेवक (दंपत्ति) द्वारा कंपनी सेवक के जीवित रहते हुए, वैधानिक तरीके से गोद लिया हो, तथा वह कंपनी सेवक पर पूर्णतः आश्रित होकर साथ रह रहा हो, तो उसे भी आश्रित सदस्य माना जायेगा।

2.5 अविवाहित दिवंगत कंपनी सेवक के पूर्णतः आश्रित भाई अथवा अविवाहित बहन को कंपनी सेवक पर पूर्णतः आश्रित माता/पिता की अनुशंसा के आधार पर बशर्ते माता/पिता अथवा परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में न हो । यदि माता/पिता दोनों जीवित न हों तो उनकी आपसी सहमति के आधार पर ।

2.6 सेवा में रहते हुए एक ही दुर्घटना में अथवा उसके फलस्वरूप यदि किसी कंपनी सेवक की एवं उसके पति/पत्नि दोनो की मृत्यु हो जाती है और उनका एक या एक से अधिक आश्रित सदस्य 21 वर्ष से कम आयु का हो, तो उसे पांच वर्षों तक दिवंगत कंपनी सेवक की अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति दिनांक से अप्रभावित रहते हुए, कंपनी सेवक को दिया जाने वाला अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन राशि घटाकर वेतन दिया जा सकेगा एवं एतद् अनुकंपा प्रकरण निराकृत किया जायेगा।

2.7 एक से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होने पर दिवंगत सेवक की पत्नी/पति की सहमति एवं, पति/पत्नी के न होने पर, परिवार की सर्वसम्मति से क्रमानुसारकिसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। परिवार की सहमति न होने पर कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है ।

2.8 उपरोक्त सभी बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में मृतक कंपनी सेवक के आश्रित पति/पत्नि आश्रित परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी एवं परिवार के पूर्णतः आश्रित होने का शपथ पत्र अनुकंपा नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जायेगा ।

---

* आकस्मिक दुर्घटना से अभिप्राय है कि कार्य करते समय हुई दुर्घटना जो कार्मिक की दुखद मृत्यु का कारण हो अथवा जिससे मृत्यु कारित हो, यथा (अ) विद्युत उत्पादन गृहों के किसी भी अवयव के निर्माण/सुधार कार्यों में लगे कार्मिक के गिरने, किसी मशीनरी में फंसने/उसके खराब होने, रिजवायर/केनाल/टैंक में डूबने, अथवा सर्वे एवं देखरेख के दौरान हुई दुर्घटना ।(ब)पारेषण लाईन एवं अति उच्चदाब उपकेन्द्र के निर्माण/रखरखाव के दौरान गिरने या पारेषण लाईन के टावर, अन्य पार्ट या उपकरण आदि के गिरने या खराब होने के कारण अथवा पारेषण लाईन के रूट सर्वे में हुई दुर्घटना। (स) उप पारेषण एवं वितरण लाइन के निर्माण/रखरखाव, कार्यों के दौरान खंबे/सीढ़ी इत्यादि से गिरने, किसी वस्तु या विद्युत उपकरण या पार्ट आदि के गिरने या खराब होने से हुई दुर्घटना।

** ड्यूटी के दौरान सभी प्रकार के वाहन दुर्घटना से चाहे वाहन मंडल/कंपनी का हो या प्रायवेट तथा दुर्घटना कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत हुई हो अथवा ड्यूटी पर गए अन्यत्र स्थान पर, कार्मिक की मृत्यु होने पर।

(@) कंपनी सेवक/सेवक - दिवंगत कपंनी कार्मिक

शासकीय सेवक -इन नियमों हेतु शासकीय सेवक से आशय है कि केन्द्र शासन/ राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रम/ निकाय/ कार्पोरेशन/ बोर्ड/ परिषद शासकीय स्वशासी संस्थाऐं/ युनिवर्सिटी/ राष्ट्रीयकृत बैंक/आयोग/अकादमी इत्यादि में नियोजित व्यक्ति ।

कंडिका 3 : अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्त

3.1 उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 में वर्णित अर्हताओं को पूर्ण करने वाला दिवंगत सेवक के पूर्णतः आश्रित परिवार का सदस्य अनुकम्पा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब वह कंपनी में प्रचलित सेवा में नियुक्ति हेतु चिन्हित पदों हेतु आवश्यक अर्हता धारण करता हो । अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में आश्रित द्वारा पद के अनुसार अर्हता, योग्यता, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं चयन प्रक्रिया के अन्य न्यूनतम मापदंड शामिल हैं, का पालन किया जायेगा।

3.1.1 अनुकम्पा नियुक्ति के पदों के लिये शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य योग्यतायें, राज्य शासन द्वारा समकक्ष पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप होंगी। समकक्ष पदों के निर्धारण में कठिनाई होने की स्थिति में कंपनी के निदेशक मंडल एवं ऊर्जा विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर, निराकरण किया जा सकेगा ।

3.2 कंपनी सेवक की मृत्यु दिनांक से सात वर्ष तक कंडिका 4.1 में वर्णित पद उपलब्ध होने पर ही पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी । निर्धारित समय सीमा के पश्चात भी पद रिक्त न होने की स्थिति में कंडिका 8.3 के अनुसार प्रकरण निराकृत किया जा सकेगा ।

3.3 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन मृत्यु दिनांक से 6 माह तक स्वीकार किये जायेंगे ।

3.4 यदि किसी कंपनी सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद हुई हो तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी ।

3.5 दिवंगत सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवक# केन्द्र/राज्य शासन/निगम/मंडल/परिषद/ आयोग/ कंपनी/ बैंक/ पंचायत/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वशासी संस्था आदि में नियमित रूप से नियोजित न हो, तो ही अनुकंपा नियुक्ति के लिये पात्रता होगी ।

3.6 दिवंगत कार्मिक के परिवार का अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र सदस्य यदि केन्द्र शासन या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके स्वत्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा निगम, मंडल, परिषद, आयोग, बैंक द्वारा पदच्युत व्यक्ति हो, तो उसकी अनुकंपा नियुक्ति के लिये पात्रता नहीं होगी ।

3.7 दिवंगत कार्मिक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो अथवा बाह्य स्त्रोत एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत हो तो ऐसे कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के लिये पात्रता नहीं होगी ।

3.8 कंडिका 1 में दर्शाये अनुसार दिनांक 10.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात के दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों को छोड़कर, शेष अस्वीकृत, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.9 दिवंगत कार्मिक के पूर्णतः आश्रित परिवार के कंडिका 2.1 से 2.7 में दर्शाये सदस्य को ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी ।

कंडिका 4 : अनुकंपा नियुक्ति के पद

4.1 कंपनी की अनुमोदित संगठनात्मक संरचना में स्वीकृत निम्न पदों पर ही पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी :-

तृतीय / चतुर्थ श्रेणी (नियमित पद)

पद का नाम	लेवल
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	25300-80500 (लेवल-6)
संयंत्र सहायक	25300-80500 (लेवल-6)
रेडियोग्राफर	25300-80500 (लेवल-6)
प्रयोगशाला टेक्नीशियन	25300-80500 (लेवल-6)
ई.सी.जी. टेक्नीशियन	25300-80500 (लेवल-6)
स्टाफ नर्स	22100-70000 (लेवल-5)
कार्या.सहा.श्रेणी-तीन	19500-62000 (लेवल-4)
फार्मासिस्ट	19500-62000 (लेवल-4)
ए.एन.एम. (मिडवाईफ)	19500-62000 (लेवल-4)
अग्निशामक	19500-62000 (लेवल-4)
ड्रेसर	18000-56900 (लेवल-3)
वार्ड ब्याय/ वार्ड आया	15500-49000 (लेवल-1)
भृत्य	15500-49000 (लेवल-1)

उपरोक्त पदों की सूची में परिवर्तन करने का अधिकार कंपनी के संचालक मंडल को होगा ।

4.2 तृतीय श्रेणी के नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी जा सकेगी

4.3 उपरोक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु राज्य शासन के ''मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017'' की वेतन संरचना के अनुसार समकक्ष पदों हेतु निर्धारित वेतनमान लागू होगा। विभिन्न पदों के लिये प्रथम वेतन (Entry Level Pay) तथा भर्ती उपरांत पदोन्नति पर पदनाम एवं वेतन (लेवल) एवं उच्च वेतनमान प्राप्त होने पर वेतन (लेवल) का निर्धारण राज्य शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 2966/2018/तेरह दिनांक 5.4.2018 के अनुसार होगा।

4.4 अनुकंपा नियुक्ति आरक्षण रोस्टर अनुसार संबंधित रिक्त पद पर ही दी जा सकेगी।

कंडिका 5 अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यक अर्हताएं एवं शिथिलीकरण

5.1 कंपनी सेवक के पूर्णतः आश्रित परिवार का पात्र सदस्य, जिसके पास संबंधित पद हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक व अन्य अर्हतायें हो, अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन करने हेतु प्रात्र होगा।

5.2 भर्ती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया से अनुकंपा नियुक्ति में छूट होगी तथा राज्य शासन के निर्देशानुसार दूरस्थ शिक्षा से स्नातक एवं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता को मान्य किया जा सकेगा । बशर्ते संबंधित संस्थान यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त हो।

5.3 अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त मृतक सेवक की पत्नी/पति के मामले में अधिवार्षिकी आयु तक पूर्णतः शिथिल रहेगी ।

5.3.1 अन्य पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में आठ वर्ष की छूट दी जा सकेगी ।

5.3.2 दुर्घटना मृत्यु के दिनांक 10.04.2012 के पूर्व के प्रकरणों में पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में (i) मृत्यु दिनांक से पूर्ववर्ती संशोधित नीति जारी होने की तिथि, और (ii) आठ वर्ष, जो भी अधिक हो, की छूट दी जा सकेगी।

5.3.3 किसी भी स्थिति में पति /पत्नी के मामले को छोड़कर, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी ।

5.4 दिवंगत सेवक की पत्नी/आश्रित के लिये तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिये, कंपनी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के लिये, तीन वर्ष का समय दिया जा सकेगा।

कंडिका 6: अवयस्क सदस्यों के संबंध में व्यवस्था

6.1 दिवंगत दिवंगत सेवक के पूर्णत: आश्रित परिवार में यदि कोई पात्र सदस्य वयस्क नहीं है तो ऐसे सेवक की मृत्यु दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि में वयस्क होने अथवा वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष तक आवेदन प्राप्त होने पर तथा पात्रता पूर्ण करने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

कंडिका 7: अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया

7.1 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन, इस आदेश के परिशिष्ट-एक के अनुसार उस विभाग के प्रमुख जिसमें दिवंगत कंपनी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जाये। तदैव, विभाग प्रमुख इस आदेश में वर्णित नियमों के अन्तर्गत आवेदनों का पूर्ण परीक्षण करते हुये प्रकरण विभाग प्रमुख (मा. संसा.) को अग्रेषित करेंगे ।

7.1.1 ऐसे दिवंगत कार्मिक, जिनकी दुर्घटना मृत्यु दिनांक 15.11.2000 के पश्चात तथा दिनांक 10.4.2012 के पूर्व हुई हो, के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन, संबंधित कंपनी, जिसमें मृतक कार्मिक के कार्यालय का अंतरण/आमेलन हुआ है, (भले ही वह कार्यालय वर्तमान में अस्तित्व में न हो) के मानव संसाधन विभाग में प्रस्तुत करेंगे।

7.2 10 अप्रैल 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात के दुघर्टना मृत्यु के प्रकरणों में ऐसे सेवक जो कंपनी बनने के पूर्व/उपरांत किसी कंपनी विशेष में कार्यरत न होकर एक से अधिक कंपनियों हेतु कार्य कर रहे थे, के आश्रित अपने आवेदन मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी को प्रेषित करेंगे। वितरण कंपनी से संबंधित आवेदन पर एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा निर्णय कर संबंधित कंपनी को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा। ट्रांसको एवं जेनको से संबंधित आवेदन संबंधित कंपनी को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जायेगें । तथापि ऐसे प्रकरण जिनमें कंपनियों के बीच क्षेत्राधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है, उन्हें राज्य शासन, ऊर्जा विभाग से निर्देश प्राप्त कर निराकृत किया जायेगा।

7.3 कार्य के दौरान दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सामान्य मृत्यु के प्रकरणों के ऊपर प्राथमिकता दी जायेगी तथा दुर्घटना मृत्यु के आवेदनों पर विचार किये जाने के उपरान्त ही अन्य प्रकरणों पर विचार किया जायेगा ।

7.4 यदि दिवंगत कंपनी सेवक के पात्र आश्रित की नियुक्ति संबंधी प्रकरण में कोई जांच विचाराधीन है, तो उसके लिये पद सुरक्षित रखकर अन्य दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को वरीयता सूची के अनुरूप नियुक्ति दी जा सकेगी ।

7.5 मानव संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों विषयक, निम्न जानकारियों का अद्यतन स्थिति में संधारण करेगा:-

(अ) अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र पदों की रिक्तियों की स्थिति ।

(ब) अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्राप्त पात्र आवेदनों की मृत्यु दिनांक के अनुसार दुर्घटना मृत्यु एवं सामान्य मृत्यु हेतु अलग-अलग पंजी का संधारण ।

7.6 इस बाबत कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी में मृत्यु दिनांक के क्रम में इन्द्राज किया जाएगा। एक ही दिनांक के एक से अधिक प्रकरण आने पर निम्न श्रेणी "क" तथा "ख" के क्रम में वरीयता दी जाएगी । (क) कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना या कार्य करते समय हमलावरों द्वारा हत्या, और फिर (ख) कार्य करते समय वाहन दुर्घटना में मृत्यु। ऐसी किसी स्थिति में जहां पर कार्मिक की मृत्यु दिनांक/मृत्यु का कारण समान हो, वहां पर मृतक कार्मिक के उस परिवार को प्राथमिकता दी जावेगी जिसके खाते में मृत्यु दिनांक के समय अधिक कार्यावधि शेष रही हो । प्राथमिकता निर्धारण में कंपनी का अभिमत अंतिम होगा ।

7.7 सामान्यतः अनुकंपा नियुक्ति नियमित रिक्त पदों पर दी जायेगी । विर्निदिष्ट रिक्त नियमित पद उपलब्ध न होने की स्थिति में, पात्रतानुसार रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

7.8 अनुकंपा नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध होने पर सक्षम अनुमोदन के उपरांत विभाग प्रमुख(मा.संसा.) ऐसे रिक्त पद पर, नियमानुसार सभी शर्तों को वर्णित करते हुये, नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगें।

7.9 दिनांक 15.11.2000 के पश्चात एवं दिनांक 10.04.2012 के पूर्व के दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों में:-

1. यदि आवेदक स्वयं किसी भी वितरण कंपनी से ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी अथवा **Vice-versa** (विलोम) में अपने आवेदन को हस्तांतरित करवाना चाहता हो तो एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर उसके आवेदन को संबंधित कंपनी में अंतरित कर देगी। इस प्रकार यह अंतरण अंतिम होगा तथा संबंधित आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति सिर्फ एतद अंतरित कंपनी द्वारा ही दी जा सकेगी । साथ ही ऐसे अंतरण पर संबंधित का आवेदन अंतरिती कंपनी में उपलब्ध आवेदनों की वरीयता सूची में उस मृत्यु दिनांक को सबसे अंतिम स्थान पर दर्ज किया जायेगा ।
2. इस प्रकार कंपनी अंतरण के प्रकरणों में संबंधित कंपनी आवेदक का आवेदन सत्यापित कर अपने अभिमत के साथ एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी को प्रेषित करेगी ।

7.10 पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 01-07/VI/सीएफए/4822, दिनांक 05.08.2006 के अनुसार देय अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले, आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर, अनुकम्पा वित्तीय सहायता योजना, वार्षिकी योजना, एवं अन्य लाभ (यदि कोई हो तो) अनुकम्पा नियुक्ति तिथि से बंद कर दिया जायेगा ।

कंडिका 8 : पद उपलब्ध न होने पर कार्यवाही

8.1 अनुकंपा नियुक्ति हेतु पद रिक्त न होने पर एवं आवेदक को पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. के परिपत्र क्रमांक 01-07/VI/सीएफए/4822 दिनांक 05.08.2006 के द्वारा देय

अनुकंपा वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत लाभ प्रदान न किया गया हो, तो लिखित सहमति देने पर मृतक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर मृतक कर्मचारी के पूर्णतः आश्रित पति/पत्नि या उनके न होने पर उनके परिवार के सदस्यों की सर्व-सम्मति से नामांकित पात्र व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर मृतक कार्मिक द्वारा अंतिम आहरित वेतन दिया जा सकेगा। इस प्रकार दिया जाने वाला अंतिम वेतन पांच वर्ष तक अथवा मृतक कार्मिक की अधिवार्षिकी आयु/सेवानिवृत्ति दिनांक तक जो भी पहले हो जारी रखा जायेगा। यह राशि संबंधित कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जायेगी। यह सुविधा तभी दी जायेगी, जब मृतक का परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिये पात्रता रखता हो।उक्तानुसार 5 वर्ष अथवा अधिवार्षिकी आयु जो भी पहले हो पूर्ण होने पर, नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता होगी।

8.2 कंडिका (8.1) का लाभ लेने वाले परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

8.3 यदि कंपनी के किसी भी कार्यालय में कंडिका 3.2 एवं 6.1 के प्रावधान अनुसार पद रिक्त न हो एवं दिवंगत कर्मचारी के परिवार द्वारा कंडिका 8.1 के अनुसार कोई विकल्प न दिया गया हो, तो कंपनी में पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र देकर आवेदन नस्ती-बद्ध किया जा सकेगा । साथ ही यह भी कि, पात्र आवेदक द्वारा यह अभिवचन दिया जाता है कि वह अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुकंपा अनुदान लेकर प्रकरण को हमेशा के लिये निराकृत करेगा तो ऐसी स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के बदले में एकमुश्त रू. 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम पर दी जाकर प्रकरण निराकृत किया जायेगा ।

8.4 इस परिपत्र में वर्णित शर्तो के अधीन दिवंगत कर्मचारी के परिवार के किसी भी पात्र सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु भी पात्रता नहीं होने पर एवं कंडिका (8.1) में वर्णित योजना का लाभ नहीं लिये जाने पर अनुकंपा नियुक्ति के बदले में एक मुश्त रू. 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की अनुकंपा सहायता प्रदान की जाकर अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण निराकृत माना जायेगा । यह राशि संबंधित कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जायेगी ।

8.5 उपरोक्त कंडिकाओ का लाभ तभी दिया जावेगा, जब दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित परिवार का कोई सदस्य पात्र हो ।

कंडिका 9 : कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगियों हेतु प्रावधान

9.1 कार्यभारित निधि से वेतन पाने वाले एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर तथा इस परिपत्र के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता एवं अर्हता रखने

पर उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर एकमुश्त रू. 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जायेगी। उसमें ग्रेच्युटी की राशि सम्मिलित नहीं होगी। इस राशि का भुगतान संबंधित कार्यालय के अंतर्गत वेतन मद से किया जायेगा।

कंडिका 10 : वचन-पत्र/शपथ पत्र

10.1 दिवंगत कंपनी सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य कंडिका 3 के अनुसार अपात्रता नहीं रखता है, इस बाबत् अनुकंपा नियुक्ति के आवेदक से शपथ पत्र लिया जाये ।

10.2 दिवंगत कंपनी सेवक के पूर्णतः आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में आवेदक/ आवेदिका से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का एक वचन-पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत कंपनी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि उसके परिवार द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

10.3 कंडिका 3.2 के अनुसार आवेदक से 7 वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा करने का लिखित अभिवचन पत्र प्राप्त किया जावे ।

कंडिका 11 : अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

11.1 आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति देने के पश्चात् किसी अन्य पद पर पुनः नियुक्ति नहीं दी जावेगी।

11.2 अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जा सकेगी।

11.3 नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण नियमानुसार कराया जावेगा परन्तु दिवंगत कंपनी सेवक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामलों में नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) कराने की शर्त नहीं रहेगी । अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जावेगी कि नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी ।

11.4 बैकलॉग पदों की सीधी भर्ती करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन पदों पर बैकलॉग के पदों से सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी है उन पदों में अनुकंपा नियुक्ति योग्य पदों पर सर्वप्रथम अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गों के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा । अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गों के प्रकरण समाप्त होने के पश्चात् ही बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी ।

11.5 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में दो से अधिक जीवित संतान होने पर अपात्रता संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र लागू नहीं होगा ।

11.6 किसी भी स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही करने की शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जाये ।

संलग्न : परिशिष्ट-एक

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

आवेदक की फोटो

परिशिष्ट – एक

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. दिवंगत कार्मिक का पूर्ण नाम ....
2. दिवंगत कार्मिक के पिता/पति का नाम ....
3. पदनाम ....
4. दिवंगत कार्मिक की मृत्यु का दिनांक ....
5. दिवंगत कार्मिक की मृत्यु का कारण ....
6.. कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत कार्मिक पदस्थ था/थी ....
....
7. आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम ....
8. दिवंगत कार्मिक से संबंध ....
9. स्थायी पता ....
....
10. वर्तमान पता ....
....
11. जन्म तिथि .... अंकों में ....
शब्दों में ....
12. आवेदन दिनांकं पर आयु – वर्ष/माह/दिन ....
13. जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो स्पष्ट रूप से दर्शायें) ....
....
14. शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण ....
15. अन्य अर्हताओं का विवरण ....
16. दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु सहमति :–

स. क्र.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत कार्मिक से संबंध	यदि सेवारत हों तो उसका विवरण, कंपनी/ अर्द्धशासकीय या निजी सेवा	आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/ असहमति	सहमति/ असहमति हेतु हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5		6	7
1							
2							
3							
4							
5							

घोषणा – पत्र

1. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पायी जाती है अथवा नियुवित के पश्चात् अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

2. मैं यह भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं स्व.श्री .... (दिवंगत कार्मिकका नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करुगां/करूगीं। बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

स्थान – ....
दिनांक -- ....

....
आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये सम्पूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गई है ।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार, आय एवं संमत्ति का जो विवरण दिया है, उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है ।
3. मैं पूर्ण जांचोपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती है, साथ ही, दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना उचित होगा।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(जहां दिवंगत कंपनी सेवा कार्यरत था/थी)
नाम ....
कार्यालय का नाम ....

टीप – आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जावे ।

(1) दिवंगत कार्मिक का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
(2) शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंकसूची/प्रमाण पत्र ।
(3) जन्म तिथि प्रमाण पत्र ।
(4) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास/मूल निवास होने का प्रमाण पत्र ।
(5) यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तद्विषयक प्रमाण पत्र।

———

अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2018 के अंतर्गत निर्धारित पदो हेतु प्रस्तावित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण तालिका

क्र.	श्रेणी	पद	म.प्र.शासन अनुसार प्रस्तावित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	तृतीय	कायो. सहायक श्रेणी –तीन	1-आश्रित ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो । 2-निर्धारित मान्यता प्राप्त निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आवश्यक है । (क) यू.जी.सी.द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (ख)यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (ग) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा । (घ)शासकीय पॉलीटेकनिक कॉलेज से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स । (ड)शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :- (क) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/ एम.ई. इत्यादि (ख) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोली-टेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि । 3- आश्रित के पास मेप आई.टी. द्वारा जारी सी.पी.सी.टी. प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
2	तृतीय	कनिष्ठशीघ्रलेखक	1- आश्रित ने हायर सैकेण्डरी परीक्षा (10+2)उत्तीर्ण की हो । 2- आश्रित के पासमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो। 3- मेप आई.टी. द्वारा जारी सी.पी.सी.टी. प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है । 4-म.प्र.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी अथवा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 श.प्र.मि. की गति से उत्तीर्ण की हो।

3	तृतीय	सयत्र सहायक	1- आश्रित ने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 2- आश्रित ने आई.टी.आई. से मशीनिस्ट/फिटर/वेल्डर/एच.पी.वेल्डर/ मैकेनिक पम्प/मैकेनिक वाहन/ इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन/मोटर मैकेनिक/ डीजल मैकेनिक/इलेक्ट्रानिक्स/ इंस्ट्रुमेंटेशन ट्रेड में म.प्र.शासन/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक ट्रेड प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
4	तृतीय	अग्निशामक	1- आश्रित ने हाईस्कूलपरीक्षाउत्तीर्ण की हो । 2-अग्निशमन में मुख्य पाठ्यक्रम पूर्ण होना अनिवार्य है अर्थात अग्निशमन पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए। 3- अग्निशामक पाठ्यक्रम संस्थान, म.प्र. राज्यशासन/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो।
5	तृतीय	फार्मासिस्ट	1-उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2-भेषजज्ञ(फार्मेसी) में डिप्लोमा/डिग्रीधारी होना आवश्यक है। 3-मध्यप्रदेश फार्मेसी कौंसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन आवश्यक है।
6	तृतीय	स्टाफ नर्स	1-उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (जीवविज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2-जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान में प्रशिक्षितअथवा बी.एस.सी.(नर्सिंग) होना चाहिये। 3-महाकौशल नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका होना चाहिये।
7	तृतीय	ए.एन.एम. (मिडवाईफ)	1-उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण । 2-मध्यप्रदेश में संचालित शासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण केंद्रों से निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण । 3-रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का जीवित पंजीयन होना चाहिए ।
8	तृतीय	रेडियोग्राफर	1-उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (जीवविज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2-मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बंधित विषय में डिप्लोमा/डिग्री / प्रमाण पत्र । 3-मध्य प्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

9	तृतीय	प्रयोगशाला तकनीशियन	1-उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (जीवविज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2-प्रयोगशाला तकनीशियन का डिप्लोमा/ डिग्री। 3-मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
10	तृतीय	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	1-उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (जीवविज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2-म.प्र.पैरामेडीकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीजी तकनीशियन में डिप्लोमा/ डिग्री। 3-मध्य प्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
11	तृतीय	ड्रेसर	1-उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2)शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण । 2-म.प्र.पैरामेडीकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय/चिकित्सालय से ड्रेसर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।
12	चतुर्थ	वार्डबॉय/वार्ड आया	आश्रित ने आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
13	चतुर्थ	भृत्य	आश्रित ने आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ए.के. नेमा)
मुख्य अभियंता (मा. संसा. एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.जबलपुर